रवि

बनाम

राज्य जरिये पुलिस निरीक्षक

12 अगस्त 2004

(के.जी. बालाकृष्णन व डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, जे.जे.)

भारतीय दण्ड सहिंता 1860 धारा 148,302,324,364 व 448 विधि विरूद्व जमाव-हमला व हत्या- आहत से सम्बन्धित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया गया-विचारण न्यायालय ने अभियुक्त ए 1 को धारा 148, 302, 364 व 448 तथा अभियुक्त ए 2 को धारा 148,324 व 448 में दोषी मानते हुये उसी अनुरूप सजा सुनाई-यद्यपि अन्य चार अभियुक्त नहीं पहचाने जाने के कारण दोषमुक्त किये गये-निर्णय की हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई-अपील में यह निर्धारित कियाः अपराध करने में प्रयुक्त हथियार प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के दृष्टांत पर जब्त किये गये- अभियोजन साक्षी/आहत की माता के अभियुक्त की गलत पहचानन करने के हेतुक के अभाव में-पहचान परेड में अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त सही पहचान की- साक्ष्यों की साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार नही किया जा सकता कि वे आहत से सम्बन्धित है-प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों की साक्ष्य भरोसेमंद व अभियुक्त को अपराध से जोडने हेतु प्रर्याप्त है अतः अभियुक्त की दोषिता स्पष्टतः स्थापित है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार का मामला उठाया गया। निर्धारित किया गया कि अभियुक्त को प्रथम बार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह विवाद उठाने की अनुमति नही दी जा सकती क्योंकि यह बिन्दु अभियुक्त द्वारा कभी भी विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के समक्ष नही उठाया गया।

अभियुक्त अपीलार्थी व पांच अन्य व्यक्तियों में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्व जमाव का गठन किया। जमाव के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में पूर्ववर्ती दुश्मनी के कारण आहत की मृत्यु कारित की। उन्होंने आहत के भाई के घर में अतिचार किया। अभियुक्त ए1 व अन्य नें आहत के खून निकलती चोटें कारित की। अभियोजन साक्षी संख्या 1 आहत के भाई व अन्य भाई आहत को घायल अवस्था में अस्पताल ले गये जहां आहत की चोटों के कारण मृत्यृ हो गई। उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात ए 1, ए 2 व चार अन्य लोगो के विरूद्व धारा 148, 149, 302 सपठित 149 व 448 सपठित 149 भारतीय दण्ड संहिता में अभियोग पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त ए1 को धारा 148,302,364, 448 तथा अभियुक्त ए2 को धारा 148,324,448 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुये इसी अनुरूप सजा सुनाई। यद्यपि न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा नहीं पहचाननें के कारण अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।

उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुये यह निर्धारित किया कि अभियोजन साक्षी संख्या 2/आहत की माता की साक्ष्य से अभियुक्त संख्या ए1 और ए2 की हमला करनें व उसके पुत्र की हत्या करने में लिप्तता संदेह से परे साबित है अतः यह अपील अभियुक्त ए1 की ओर से पेश की गई है।

अभियुक्त अपीलार्थी नें तर्क दिया कि अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी को स्पष्ट करने हेतु दिये गये कारण पर्याप्त नहीं है। शिकायत आहत के भाई फरियादी पी.डब्ल्यु1 द्वारा जिस पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाई गई, वह पुलिस स्टेशन अपराध की घटित होने के क्षेत्राधिकार से बाहर था व तात्विक साक्षियों यहां तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को परिक्षीत नही करवाना, अभियोजन के लिए घातक है।

अपील निरस्त करते हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

1. अभियोजन का मामला अभियोजन साक्षी संख्या 2, 3 और 6 के कथनों पर आधारित है जो स्पष्टतया अभियुक्त को अपराध में लिप्त करते हैं व अभियुक्त संख्या 1 और 3 का उनकी बहिन/आहत की पत्नि की मृत्यु कारण आहत से शत्रुता / घृणा /बैर था। अभियुक्त संख्या ए1 और ए2 ने स्वतंत्र रूप से संस्वीकृतिक कथन किये थे व अभियुक्त ए1 के कथनों पर चाकू (एमओ2) व कमीज (एमओ3) प्रदर्श पी6 फर्द जब्ती द्वारा बरामद किये गये। अभियुक्त ए2 के कथनों के आधार पर लकडी का लावक जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी5 बरामद किये गये। एमओ1-एमओ3 पर खून के धब्बे पाये गये। कमीज पर पाया गया खून मानव खून होना स्पष्ट हुआ। यह विधिक रूप से स्थापित है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नही किया जा सकता कि वे आपस में सम्बन्धित है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 की साक्ष्य भरोसेमंद है क्योंकि इस साक्षी के संदर्भ में ऐसा कोई मजबूत हेतुक व द्वेष/वैमनस्य नहीं है कि वह उसके पुत्र को चोट पंहुचाने वाले वास्तविक व्यक्ति को मुक्त करते हुये अभियुक्त को अपराध में लिप्त करे।{490-ई-एफ-जी-एच}

2. इस प्रकरण के तथ्य यह स्पष्ट करते है कि शिकायत दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी।{491-ई}

3. अभियोजन साक्षी संख्या 8 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पहचान परेड की कार्यवाही की थी। अभियोजन साक्षी संख्या 2 व अन्य को अभियुक्त संख्या ए2 को पहचाननें हेतु तीन अवसर प्रदान किये और उन्होंने तीनो अवसरो पर अभियुक्तगण को सही पहचाना।{491-एफ-जी}

4. क्षेत्राधिकार का बिन्दु न तो सेशन न्यायालय के समक्ष न ही उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया। प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है अतः यह

न्यायालय इस स्तर पर देरी से उठाये गये अभिवाक् को अस्वीकार करता है।{491-एच;492-ए}

5.1 मृतक की माता व अभियोजन साक्षी संख्या 2 की साक्ष्य ठोस व विश्वास योग्य है। अपनी साक्ष्य में इसने कहा है कि मृतक उसका पुत्र एक महिला के साथ उसके घर के पास एक मकान में रहता था। मृतक की मृत्यु के एक सप्ताह पहले उस महिला ने अपने उपर स्वयं केरोसीन उंडेलकर स्वयं के आग लगा ली थी व चार पांच दिन में उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त संख्या ए 1 इस महिला का भाई व इनकी मां व अन्य भाईयों ने यह समझा कि उसकी मृत्यु हेतु मृतक/आहत जिम्मेदार है। अभियुक्त संख्या 1 व अन्य 6 व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया। जिससे आई चोटों के कारण उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त संख्या ए 2 को भी पहचाना कि इस व्यक्ति ने भी अभियुक्त संख्या ए 1 के साथ उसके पुत्र की पिटाई की थी। {492-बी-सी-डी-ई-एफ}

5.2 अभियोजन साक्षी संख्या 7 चिकित्सा अधिकारी, जिसने मृत शरीर का शव परीक्षण किया, ने यह राय दी कि प्रदर्श पी7 की सभी चोटें प्रकृति में मृत्यु पूर्व की थी। चोट संख्या 1 व 2 अन्य आंतरिक चोटों के साथ प्रकृति में घातक थी व प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी।{492-जी,43-डी}

6 अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि मृतक/आहत की मृत्यु अभियुक्त संख्या ए 1 ने की है। अभियोजन साक्षी संख्या 2,3 और 6 की साक्ष्य अभियुक्त को अपराध में लिप्त करती है। अभियोजन साक्षी संख्या 2/आहत की माता अभियुक्त संख्या ए 1 को जानती है जिसनें अपनी साक्ष्य में स्पष्तया यह कहा कि घटना के दिन अभियुक्त ए 1 ने छ अन्य व्यक्तियों के साथ उसके घर मे प्रवेश किया व मृतक पर हमला किया। उसने स्पष्टतः यह पहचाना है कि अभियुक्त ए 1 वहीं व्यक्ति था,

जिसके पास चाकू था और उसने मृतक पर हमला किया। उसने पहचान परेड में अभियुक्त ए1 को पहचाना है अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।{493-ई-एफ-जी}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1150-1151/2003

मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 315 और 539/1999 में निर्णय और आदेश दिनांक 14.02.2003 से।

सुश्री प्रशांथी प्रसाद, सुश्री दीप्ति और श्री दिलीप पोलाक्कुट-अपीलार्थी की और से

वी.जी. प्रगाशम-विपक्षी की ओर से

डॉ. एआर. लक्ष्मणन, जे. द्वारा निर्णय दिया गया-

उपरोक्त अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ए1 रवि व ए2 पक्काराजी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 315 व 539/99 में दिये गये निर्णय दिनांक 14.02.2003 के विरूद्व पेश की गई है। यहां अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 315 का अपीलार्थी व अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पोंडिचेरी के यहां ए1 था। विद्वान सेशन न्यायाधीश नें ए2 को 302 के आरोपो से दोषमुक्त कर दिया था। राज्य द्वारा ए2 को हत्या के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है।

अभियुक्त के विरूद्व निम्नांकित आरोप लगाये गये थे। पुलिस निरीक्षक विल्लीनूर वृत पोंडिचेरी नें अभियुक्त के विरूद्व अभियोग पत्र यह अभिकथित करते हुये प्रस्तुत किया कि दिनांक 06.03.1996 को दिन मे करीब साढे बारह बजे अभियुक्त ए1(रवि) अभियुक्त ए2(राजा उर्फ पुक्काराजी) व चार अन्य नें विधिविरूद्व जमाव में गटित करते हुये घातक हथियारों से सुसज्जित होकर जमाव के सामान्य उददेश्य: पूर्व दुश्मनी के कारण शणमुगम की हत्या करनें, के अग्रसरण में मृतक के भाई अधिकेश्वन

के घर में अतिचार कर शणमुगम पर घातक हथियारों से हमला करते हुये उसे खून निकलने वाली चोटें कारित की। सभी अभियुक्तगण ने आहत का पीछा कर उसे एक ऑटो रिक्शा मे पावानार नगर, रेडियारपलायम, पोंडिचेरी में एक मैदान के वहां ले गये व घातक हथियारों से मारपीट कर खूनी चोटों के साथ वहीं छोड दिया। मृतक/आहत शणमुगम की बाद में सामान्य अस्पताल पोंडिचेरी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभियुक्तगण ने शणमुगम की मृत्यु कारित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 149, 448/149, 364/149 व 302/149 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 लगायत 11 परिक्षित हुये व दस्तावेजात 1 लगायत 22 व एओ संख्या1 लगायत 3 पेश किये गये। अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षिप्त में निम्नानुसार हैः- आहत/मृतक शणमुगम का भाई अन्य भाईयों कृष्णामुर्ती, मृतक शणमुगम शिवा व मृतक गंगा भवानी, पुददुसरन में रहते थे और कृष्णामुर्ति शादी के बाद अपने ससूर के घर चला गया। घटना के आठ साल पहले मृतक शणमुगम की एक सरासु नाम की महिला के साथ घनिष्ठता/अंतरंगता हो गई जो उसके साथ अलग रहने लग गया। घटना के छः महिनें पहले वह आया और उसके घर से पांच छ घर दूर रहने लगा। शणमुगम की मृत्यु दिनांक 04.03.1996 के दो तीन दिन पहले शणमुगम की पत्नि सरासु ने अपने उपर केरोसीन उंडेलते हुये आग लगा ली व आग लगा कर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शणमुगम ने आकर पी.डब्ल्यु1 को बताया कि सरासु के भाई यह सोचते है कि वह सरासु की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था और वे उसे धमकिया दे रहे थे। उसने यह भी बताया कि उसने सरासु को बचाने का प्रयास किया था, जिसमें उसके हाथ पर चोटे आई थी। वह इलाज लेना चाहता था इसलिए वह उनके साथ उनके मकान में रहा व उसके पिताजी ने भी इसके लिए सहमति प्रदान की व वह उनके साथ उनके मकान मे भी रहा। दिनांक 06.03.1996 को ए1 रवि पुत्र मुनुस्वामी अन्य पांच आदमियों के साथ

चाकू व लाठी के साथ घर में प्रविष्ठ हुआ और पूछा कि शणमुगम यहां है और वे उस कमरे में चले गये जहां शणमुगम बैठा था। उन्होंने शणमुगम के साथ पिटाई शुरू कर दी। शणमुगम भागा तो उन्होंने शणमुगम का पीछा किया। उसने पी.डब्ल्यु1 को कहा कि शणमुगम को क्या हुआ है पता करो। पी.डब्ल्यु1 अपने भाई कृष्णमुर्ति के साथ उसे ढुंढनें गया तो उसने देखा कि शणमुगम खून निकल रही चोटों के साथ अभियुक्त ए1 रवि के मकान के पीछे मैदान में पडा है जिसकी सांसे धीरे धीरे चल रही है परन्तु बोल नहीं पा रहा है। वे शणमुगम को ऑटो रिक्शा में सामान्य अस्पताल पोंडिचेरी ले गये। वह साढे चार बजे घर आया और अपनी माता को घटना के बारे में बताया। उसके पश्चात उसने पुलिस के समक्ष शिकायत पेश की। प्रदर्श पी1 उसके द्वारा पेश शिकायत है। दिनांक 06.03.1996 को आई चोटों से शणमुगम की 07.03.1996 को मृत्यु हो गई।

रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य पर विचार करते हुये सेशन न्यायाधीश पोंडीचेरी इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि अभियोजन साक्षी संख्या 2,3,6 की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त संख्या ए1 ओर ए2 पांच अन्य व्यक्तियों के साथ थे। अभियुक्त संख्या ए1 और ए2 नें मृतक शणमुगम पर हमला किया। अभियुक्त संख्या ए3-ए7 गवाहो द्वारा नही पहचानें गये। सेशन न्यायाधीश ने यह निर्धारित किया कि प्रथम अभियुक्त ने धारा 148,364,448,302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया है। मुख्य अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य अपराधों के लिए एक से सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गईं। द्वितीय अभियुक्त को धारा 148,448,324 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी माना गया।

इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ए1 ओर ए2 ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि अभियुक्तों की अपराधों के लिए की गई

दोषसिद्वि विधिक सामग्री पर आधारित थी व आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं थी।

उच्च न्यायालय इस मत का भी था कि शिकायत दर्ज करवाने में हुई देरी को युक्तियुक्त व संतोषजनक रूप से स्पष्ट किया गया है व अभियोजन साक्षी संख्या 1 की मोखिक साक्ष्य में कोई संदेहास्पद परिस्थिति नही थी। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अभियोजन साक्षी सख्या 2 की साक्ष्य, जो कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, विश्वास योग्य है। प्रदर्श 1 या प्रदर्श 18 में बताई गई दुर्बलता अभियोजन साक्षी संख्या 2 की घटना के बारे में दी गई मोखिक साक्ष्य को विपरीत रूप से प्रभावित नही करती है। उच्च न्यायालय ने यह भी महसूस किया था प्रदर्श 1 व प्रदर्श 18 में दर्शित की गई चूक तथ्यात्मक रूप से अत्यंत तुच्छ है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 की साक्ष्य ने आहत पर हमला करने में अभियुक्त संख्या 1 और 2 की लिप्तता को संदेह से परे साबित किया था ।

इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ए1 ने विशेष अनुमति याचिका के तौर पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। हमनें अपीलार्थी ए1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रशांथी प्रसाद व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जी. प्रगाशम को सुना। हमनें रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य व सैशन न्यायाधीश साथ ही उच्च न्यायाल के निर्णय पर विचार किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता नें निम्नांकित तर्क/निवेदन प्रस्तुत किये हैः-

1. अभियोजन साक्षियों द्वारा दिये गये कारण एफ.आई.आर. देरी से दर्ज करवाने के तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है व देरी को समुचित रूप से स्पष्ट किये जानें का निष्कर्ष देनें में उच्च न्यायालय ने गलती की है।

2. अभियोजन साक्षी संख्या 1 शिकायतकर्ता द्वारा रेडियारपलायम में शिकायत दर्ज करवाई गई है जो घटना के अभिकथित स्थान के क्षेत्राधिकार से बाहर है व उच्च न्यायालय इस तथ्य का विवेचन करने में विफल रहा है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 नें निकटतम व क्षेत्राधिकार रखने वाले डीनगर पुलिस स्टेशन में क्यों नही रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करवाई व इसका कोई कारण व स्पष्टीकरण भी नही दिया।

3. अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

4. तात्विक साक्षियों विशेषकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को परिक्षित नही करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है अतः उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाये।

इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता नें तर्क दिया कि पत्रावली पर आई साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुये तथ्यों के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय नें अभियुक्त ए1 को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सही रूप से दोषी माना है व आहत/मृतक के रिश्तेदारों की साक्ष्य पर विचार करते हुये कोई गलती नही की है।

5. इस प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभुमि के संदर्भ में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अपीलार्थी ए1, जिसे संहिता की विभिन्न धाराओ में अलग अलग दण्ड दिया गया था, के विरूद्व आरोप साबित करने में सफल रहा था या नहीं?

6. हमनें रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया व सेशन न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विचार किया।

7. हमारी राय में अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि अभियोजन का मामला घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 2,3, और

6 की साक्ष्य पर आधारित था, जिन्होंने स्पष्टतः अभियुक्त को अपराध में लिप्त किया है व अभियुक्त ए1 और ए3 की मृतक के साथ उनकी बहिन सरासु की मृत्यु कारण पुरानी दुश्मनी/बैर था। अभियुक्त ए1 और ए2 द्वारा स्वतंत्र रूप से संस्वीकृतिक कथन किये गये है और उनके आधार पर अभियुक्त ए1 के इन कथनों के आधार पर चाकू एमओ2 व कमीज एमओ3 जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 जब्त किये गये व अभियुक्त ए2 के कथनों के आधार पर लकडी का लावक एमओ1 जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 जब्त किये गये है। एमओ1-एमओ3 पर खून के धब्बे पाये गये व कमीज पर लगा खून मानव रक्त के रूप में पहचाना गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 और 2 की साक्ष्य पर भरोसा नही किया जा सकता क्योंकि ये गवाह मृतक से सम्बन्धित और हितबद्व थे व कोई स्वीकृति नहीं है। हम इस तर्क को स्वीकारने में असमर्थ है।

9. इस न्यायालय के कई निर्णयो द्वारा यह पूर्णतया स्थापित है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर खारिज नही किया जा सकता कि वो आपस में सम्बन्धित है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या 2 के विरूद्व कोई ऐसा मजबूत हेतुक या द्वेष/ वैमनस्य नहीं है कि वह उसके पुत्र को चोट पंहुचाने वाले वास्तविक व्यक्ति को मुक्त करते हुये अभियुक्त को अपराध में लिप्त करे।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत दर्ज कराने में असामान्य देरी हुई थी। हमारी राय में इस तर्क में कोई दम नहीं है।

11. उस भयानक दिन सभी 6 अभियुक्तों ने लाठी व चाकू से सुसज्जित होकर उस कमरे में प्रवेश किया जहां शणमुगम सो रहा था। अभियुक्त ए1 ने शणमुगम पर चाकू से हमला किया इसके बाद गहरे वर्ण/रंग के व्यक्ति ने उस पर लाठी से वार किया। डर

के मारे सुरक्षा की दृष्टि से शणमुगम घर के बाहर भागना प्रारम्भ कर दिया। सभी अभियुक्तों ने उसका पीछा किया। इस घटना को अभियोजन साक्षी संख्या 2 व घर पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने देखा था। अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने पंहुचने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नही हो पाई। उसे यह पता चला कि उसके पुत्र को हमलावर ऑटो रिक्शा मे ले गये है। उस दिन में डेढ बजे पर उसका अन्य पुत्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 घर आया, जिसे उसनें घटना के बारे में बताते हुये निवेदन किया कि शणमुगम को क्या हुआ है, पता करें। वह शाम साढे चार बजे घर आया और उसने उसे बताया कि उसका भाई शणमुगम भोमियानपेट के पास खुले मैदान में पडा था और उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसने गहरे वर्ण/रंग के व्यक्ति को पहचान परेड में अभियुक्त संख्या ए2 के रूप में पहचाना था। अभियोजन साक्षी संख्या 1 प्रत्यक्ष रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नही था, परन्तु उसने यह स्पष्ट किया है उसे दिन में डेढ बजे घर पंहुचने पर उसकी मां ने उसे घटना के बारे मंे बताया था। अपनी मां से घटना के बारे में सुनने पर वह अपने भाई की खोज में गया व उसने पाया कि उसका भाई खुले मैदान में पडा हुआ अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था। अपने भाई को अस्पताल मंे भर्ती करवाने के बाद वह करीब शाम साढे चार बजे अपने घर आया तथा अपनी मां अभियोजन साक्षी संख्या 2 को बताया व उसके पश्चात शिकायत प्रदर्श पी1 दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गये। उपरोक्त तथ्य स्पष्टतः यह दर्शित करते है कि शिकायत दर्ज करवाने में कोई देरी नही हुई थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 8 थीरू पी. नलाथाम्बी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमवर्ग नें कथन किया कि दिनांक 25.03.1996 को पहचान परेड कराने हेतु उसे एक निवेदन पत्र प्रदर्श 10 के रूप में प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप उसने दिनांक 28.03.1996 को दिन में 3 बजे केन्द्रीय कारागृह परिसर में पहचान परेड सम्पादित की। अभियोजन साक्षी संख्या 2 और गंगा भवानी को अभियुक्त ए2 राजी उर्फ पुुक्काराजी को पहचानने हेतु

3 अवसर दिये गये जिसने तीनों अवसरों पर अभियुक्त की सही पहचान की। प्रदर्श पी 11 तीन प्रतियो में पहचान परेड का रिकॉर्ड है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नही करवाई गई थी, इस तर्क में कोई बल नहीं है। क्षेत्राधिकार सम्बन्धि बिन्दु सेशन न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के समक्ष कभी नही उठाया गया था। यह बिन्दु अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान हमारे समक्ष उठाया है इसलिए हम इस तर्क को अत्यधिक देरी के स्तर पर उठाने से अस्वीकार करते है।

हमनें सभी अनुलग्नों व अभियोजन साक्षी संख्या 2 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया। इसकी साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है इसने अपनी साक्ष्य में ये कहा है कि मृतक/आहत शणमुगम अपनी मृत्यु के आठ साल पहले से सरासु नामक महिला के साथ रहता था। शणमुगम सरासु के साथ अपनी मृत्यु के 6 माह पहले उसके घर के पास रहने लगे। शणमुगम की मृत्यु के एक सप्ताह पहले सरासु ने केरोसीन उंडेलते हुये स्वयं को आग लगा दी और चार पांच दिन में उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त संख्या ए 1 रवि मृतका सरासु का भाई व उसकी मां व अन्य भाई यह सोचते थे कि शणमुगम उसकी बहन सरासु की मृत्यु का जिम्मेदार है।

मृतक शणमुगम ने उन्हें यह बताया कि उसे जान खतरा है इसलिए वह सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ रहना चाहता है जिसके लिए उन्होंने सहमति भी दे दी थी। दिनांक 06.03.1996 को दिन में साढे बारह बजे शणमुगम अपने घर के कमरे में बैठा था जबकि उसका पति आदिमूलम उसकी बेटी गंगाभवानी खाना खा रहे थे। इसी समय अभियुक्त ए 1 रवि छः अन्य व्यक्तियों के साथ चाकू व लाठी से सुसज्जित होकर उनके घर में प्रविष्ट हुआ व उस कमरे में जाकर शणमुगम पर हमला किया, जहां शणमुगम बैठा था। अभियुक्त ए 1 रवि ने शणमुगम पर चाकू से वार किया व गहरे

वर्ण /रंग के व्यक्ति ने शणमुगम के साथ लाठी से मारपीट की। इस हमले और लाठी को झेलने पर असमर्थ होने पर शणमुगम सिढियों पर चढ गया और उसने भागना शुरू कर दिया। इन सभी सात व्यक्तियों ने उसका पीछा किया। जब वह बाहर आई तो उसने यह पाया कि ये सभी सात व्यक्ति शणमुगम को बलपूर्वक ऑटो रिक्शा में ले गये है उसने यह तथ्य दिन में डेढ बजे अभियोजन साक्षी संख्या 1 को बताया, जब वह घर आया। अभियोजन साक्षी संख्या 1 व उसका अन्य पुत्र कृष्णमुर्ती शणमुगम की खोज में गये। शाम साढे चार बजे अभियोजन साक्षी संख्या1 ने उसे आकर बताया कि शणमुगम के चोटे आई है और वह भोमियानपेट के पास पडा था व उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। पश्चातवर्ती स्तर पर उसके पुत्र शणमुगम की मृत्यु हो गई ।उसने यह भी कथन किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने गहने वर्ण/रंग के दूसरे अभियुक्त को पहचाना था जिसने अभियुक्त ए 1 के अलावा उसके पुत्र के साथ मारपीट की थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 7 डां. आर. बालारमन जिसने मृतक की शव परीक्षा की थी, ने बताया कि शव के बाह्य परीक्षण में कुल सात चोटें थी। शव के आंतरिक परीक्षण में बांये सेरीब्रल हेमिस्पियर में सब-ड्युरल हिमोरेस पाया गया। मृतक का मस्तिष्क द्रव्य पदार्थ के इकठा होने के कारण सूजा हुआ था। गर्दन के बांयी और कष्ठिका अस्थि पर व्यापक नील पाया गया। मृतक का विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया जो जहर से स्वतंत्र/आजाद/विमुक्त था। उसने अपनी अंतिम राय दिनांक 30.12.1996 को दी कि आहत शणमुगम की मृत्यु सिर व गर्दन की चोट से हुई थी। प्रदर्श पी 7 शवपरीक्षण-रिपोर्ट, प्रदर्श पी 8 रासायनिकपरीक्षण-रिपोर्ट है, प्रदर्श पी9 अंतिम राय है। प्रदर्श पी 7 की सभी चोटें प्रकृति में मृत्यु से पहले की थी।

चोट संख्या 1 और 2 आंतरिक चोटों के साथ प्रकृति में घातक होकर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उसने यह भी राय दी कि

चोट संख्या 1, 3-6, चोट संख्या 1 के साथ संभव थी जबकि चोट संख्या 2 के साथ संभव थी। चोट संख्या 7 जलने या किसी अन्य कारण से आई हुई चोट थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 10 विजयसुंदरम पुलिस निरीक्षक ने कथन किया कि उसने प्रदर्श पी 5 से हथियार बरामद किया था। उसके पश्चात अभियुक्त संख्या ए1 के घर पर गया जहां उसनें कोदुवल काठी (चाकू) एमओ2 व पूरी आस्तीन की कमीज एमओ3 लाकर प्रस्तुत की जिसे प्रदर्श पी 6 जब्त किया गया। एमओ 1-3 पर खून के धब्बे थे। अभियोजन साक्षी संख्या 11, जिसने अभियोजन साक्षी संख्या 10 के पश्चात अनुसंधान किया ने अभियोजन साक्षी संख्या 7 चिकित्सक से राय प्राप्त की व उसका परीक्षण किया। उसके द्वारा डीनगर पुलिस स्टेशन से मृतक शणमुगम की पत्नि सरासु से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की, जिसकी मौत सरकारी अस्पताल पोंडीचेरी में हुये इलाज के बावजूद भी जलने से आई चोटो से हुई थी। उसका यह भी कथन रहा कि अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात उसने सभी अभियुक्तो के विरूद्व विभिन्न धाराओ में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

उपरोक्त कारणों के आधार पर हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ए1 ने मृतक शणमुगम की मृत्यु कारित की व अभियोजन साक्षी संख्या 2,3 और 6, जो महत्पूर्ण है, की साक्ष्य अभियुक्त को स्पष्टतः अपराध में लिप्त करती है जिसने अभियुक्त को चोटें कारित की। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त ए1 मृतक के साथ रह रहा था। अभियोजन साक्षी संख्या 2 मृतक शणमुगम की माता अभियुक्त ए1 को जानती थी। उसने स्पष्ट शब्दो में कथन किया है कि घटना के दिन अभियुक्त ए1 अन्य छ व्यक्तियों के साथ उसके घर में प्रवेशकर शणमुगम पर हमला किया, जो कमरे के अंदर बैठा था। उसने स्पष्टतः अभियुक्त ए1 को पहचाना है जिसके पास चाकू था और उसने मृतक पर हमला किया था। वह अभियुक्त ए2 को नहीं जानती थी। उसने अभियुक्त

को पहचान परेड में पहचाना था। उपर दिये गये कारणो से हम यह निर्धारित करते है कि अभियोजन ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषिता को सभी संदेह से परे स्थापित किया है। अतः अभियुक्त ए 1 द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रणधीर सिंह मिर्धा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।